सं.ई 11011/4/2023-हिन्दी/ 405
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग

नवीन पुस्तकालय भवन,
केंद्रीय जल आयोग,
आर के पुरम, नई दिल्ली 110066
दिनांक: 17 जनवरी,2024

परिपत्र

विषय: केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिताओं के संबंध में

केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा वर्ष 2024 में विभिन्न विषयों पर अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। जिसके विजेताओं को परिषद द्वारा नकद पुरस्कार/शील्ड प्रदान किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं के संबंध में विस्तृत नियमों को इस परिपत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि कृपया इन हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपना नामांकन दिनांक 25.01.2024 तक हिन्दी अनुभाग को अवश्य भेज दें।

17/01/2024
(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक (राजभाषा)
बी.पी.एल3720 .

संलग्नक:
परिषद से प्राप्त प्रतियोगिताओं के नियम आदि

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव
2. सभी सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव
3. मुख्य अभियंता, मानव संसाधन प्रबंध के प्रधान निजी सचिव
4. मानद निदेशक, केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,नई दिल्ली

ई–मेल : hindiparishad116@gmail.co

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद
प्रधान कार्यालय–116, टाईप–IV, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली – 110023
हमारा ध्येय– सरकारी काम–काज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना।
(पंजीकरण सं. एस 1957/1961.62)

प्रधान
कुश्विन्दर वोहरा
अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल, सेवा भवन (दक्षिण)
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066

मानद निदेशक
पंकज दीवान
9891635077

महामंत्री
विनीत रावत
प्र.स्ना.शिक्षक, केन्द्रीय विद्यालय,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
झाडोदा कला, नई दिल्ली–110072
मो. 7678327718

क्र. 5/1/2023–परिषद/प्रतियोगिता/2

दिनांक :–20/12/2023

सेवा में,

मानीय कार्यालय अध्यक्ष/
माननीय शाखा प्रधान/शाखा मंत्री

विषयः– केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा वर्ष 2024 शक 1945 में आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिताओं के नियमों का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

एतद द्वारा आपको परिषद द्वारा वर्ष 2024 में विभिन्न विषयों पर आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिताओं के नियम प्रेषित किए जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इन प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतियोगिताओं के नियमों (संलग्न) में उल्लिखित निदेशों के अनुसार करवाएं और उत्तर पुस्तिकाएं यथाशीघ्र परिषद के प्रधान कार्यालय को प्रेषित करें। गत वर्ष अपने कार्यालय/शाखा में परिषद की प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक संचालन करवाने हेतु परिवार आपका हार्दिक आभारी है।

सादर,

संलग्न :– यथोक्त

भवदीय

(पंकज दीवान)
मानद निदेशक
मो. 9891635077
ई–मेलः– mahamantri1234@yahoo.in

ई–मेल : hindiparishad116@gmail.com

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

116, टाइप–4, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली–110023

संख्या : 36/दि.प्र./24/1 दिनांक : 20/12/2023

सेवा में,

कार्यालय अध्यक्ष/शाखा मंत्री

विषयः वर्ष 2023–24, शक 1945–46 के दौरान परिषद द्वारा संचालित की जा रही हिन्दी के विभिन्न विषयों से संबंधित प्रतियोगिताओं के नियम।

आदरणीय महोदय,

एतद्द्वारा कृपया वर्ष 2023–24 शक, 1945–46 के दौरान परिषद द्वारा संचालित की जा रही हिन्दी के विभिन्न विषयों से संबंधित पांच प्रतियोगिताओं के नियम सादर प्राप्त करें। इन प्रतियोगिताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवर्णित हैं :––

क्र.	प्रतियोगिता का नाम	आयोजन तिथि/समय अवधि	पुरस्कार
1)	38वीं अखिल भारतीय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी लेख प्रतियोगिता वर्ष 2023–24	दि. 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि में विज्ञान एवं तकनीकी विषयों पर हिन्दी में मौलिक रूप से लिखे गए लेख। (लेख भेजने की अंतिम तिथि 10.02.2024)	1) अ0 भा0 प्रथम स्थान के लिए आचार्य सत्येन बोस पुरस्कार रू. 3001/–एवं प्रतीक 2) अ0भा0 द्वितीय पुरस्कार रू. 2501/–एवं प्रतीक 3) अ0भा0 तृतीय पुरस्कार रू. 2001/–एवं प्रतीक 4) महिला विशेष पुरस्कार रू. 1501/–एवं प्रतीक 5) हिन्दीतर भाषी विशेष रू. 1501/–एवं प्रतीक
2)	51वीं हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता वर्ष 2023–24 (केवल हिन्दीतर भाषियों के लिए)	दिनांक 21 फरवरी, 2024 बुधवार कार्यालय समय में सुविधानुसार।	हिन्दी भाषी तथा हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग रू..2001/–रू.1501/–रू.1001/– के तीन नकद पुरस्कार, तमिलनाडु, विशेष पुरस्कार रू.551/– एवं प्रतीक, भाषा वर्ग एवं भाषा वर्ग प्रोत्साहन पुरस्कार।
3)	अखिल भारतीय 53वीं कंप्यूटर पर हिन्दी टंकण तथा 50वीं अखिल भारतीय हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता गति वर्ग 80, 100, 120, 160 शब्द प्रति मिनट तथा **केवल दिल्ली** में उच्च गति की हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता गति वर्ग 180, 200, 220, 250 शब्द प्रति मिनट	दिल्ली में दि. 09 फरवरी, 2024, शुक्रवार को तथा अन्य नगरों में दिनांक 09 और 10 फरवरी, 2024 शुक्रवार एवं शनिवार।	हिन्दी टंकण के लिए रू. 2001/–,रू. 1501/–, रू. 1001/– के तीन अखिल भारतीय पुरस्कार, महिला पुरस्कार, हिन्दीतर भाषी प्रथम, 3 विशेष हिन्दीतर भाषी, राज्य एवं केन्द्र पुरस्कार, वैजयन्ती एवं पदक, हिन्दी आशुलिपि के लिए रू..2001/–, रू.1501/–, रू.1001/– के तीन अखिल भारतीय पुरस्कार तथा प्रत्येक गति के लिए गति वर्ग तथा प्रोत्साहन पुरस्कार।
4)	51वीं अखिल भारतीय हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता वर्ष 2023–24	दिनांक 14 फरवरी, 2024, बुधवार, 11.00 बजे पूर्वाह्न	हिन्दी भाषी और हिन्दीतर भाषी अलग–अलग रू..2001/–, रू.1501/–, रू.1001/– के तीन अखिल भारतीय पुरस्कार तथा प्रत्येक प्रतियोगिता केन्द्र के लिए केन्द्र स्तर पर प्रतियोगियों की संख्या के अनुपात के अनुसार कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार।

आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करके इन्हें सफल बनाएं तथा इस प्रयोजनार्थ इन प्रतियोगिताओं के नियमों को अपने मंत्रालय/कार्यालय के अन्य विभागों/शाखाओं को पृष्ठांकित करें।

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं की विस्तृत जानकारी हेतु प्रत्येक प्रतियोगिता के नियमों के अलग–अलग संलग्नक का अवलोकन करें।

आपसे सदैव सहयोग की अपेक्षा के साथ,

संलग्न : यथोक्त

विनीत रावत	पंकज दीवान	तरूण शर्मा
महामंत्री	मानद निदेशक	प्रतियोगिता मंत्री

ई–मेल : hindiparishad116@gmail.com

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

116, टाइप–4, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली–110023

34वीं अखिल भारतीय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी लेख प्रतियोगिता के नियम शक 1945 (वर्ष 2023–24)

1– इस प्रतियोगिता में 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि में विज्ञान तथा तकनीकी विषयों पर मौलिक रूप में हिन्दी में लिखे गए लेख सम्मिलित किए जाएंगे। अखिल भारतीय प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी को महान भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया **'आचार्य सत्येन बोस पुरस्कार'** दिया जाएगा।

2– लेख कम से कम 10 तथा अधिकतम 15 फुल स्केप पृष्ठ का और कागज के एक ओर डबल स्पेस में टाइप होना चाहिए। लेख के प्रारम्भ में अपना नाम, मातृभाषा, कार्यालय तथा घर का पूरा पता और टेलीफोन नम्बर अवश्य लिखें।

3– लेख के साथ जो चार्ट, ग्राफ तथा नक्शे आदि दिए जाएं वे काली स्याही से बने होने चाहिए। प्रतियोगिता हेतु प्राप्त लेखों को वापस भेजने की व्यवस्था नहीं है। अतः लेख की फोटोप्रति अपने पास रख लें। प्रतियोगिता के लिए प्राप्त उत्कृष्ट लेख परिषद् की विज्ञान एवं तकनीकी विषयों से संबंधित पत्रिका "विज्ञान गंगा" में भी प्रकाशित किए जाएंगे।

4– इस प्रतियोगिता के संबंध में उन्हीं लेखों पर विचार किया जाएगा, जो परिषद के प्रधान कार्यालय केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, 116, टाइप–4, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली–110023 पर 10, फरवरी 2024 तक प्राप्त हो जाएंगे। लेखों की विषयवस्तु, उनकी मौलिकता, विवेचन शैली की स्पष्टता आदि की श्रेष्ठता के आधार पर निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे।

1–	अखिल भारतीय प्रथम स्थान के लिए आचार्य सत्येन बोस पुरस्कार	3001/–	रूपये	प्रतीक एवं प्रशस्ति पत्र
2–	अखिल भारतीय द्वितीय पुरस्कार	2501/–	रूपये	प्रतीक एवं प्रशस्ति पत्र
3–	अखिल भारतीय तृतीय पुरस्कार	2001/–	रूपये	प्रतीक एवं प्रशस्ति पत्र
4–	महिला (विशेष) पुरस्कार	1501/–	रूपये	प्रतीक एवं प्रशस्ति पत्र
5–	हिन्दीतर भाषी (विशेष) पुरस्कार	1501/–	रूपये	प्रतीक एवं प्रशस्ति पत्र

5– संयुक्त रुप से भेजे जाने वाले लेख केवल दो व्यक्तियों द्वारा ही लिखे गये होने चाहिए । दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रुप से लिखा गया लेख स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। संयुक्त रुप से प्राप्त लेखों की पुरस्कार राशि बराबर–बराबर बांट दी जाएगी।

6– विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लेख में यथासंभव भारत सरकार की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का ही प्रयोग किया जाए। परिषद कार्यालय के उपर्युक्त पते पर ये लेख 10 फरवरी 2024 तक भेजे जाएं।

7– 01.01.2023 से पूर्व तथा 31.12.2023 के पश्चात् प्रकाशित एवं प्रसारित हो चुके लेख इस प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

8– परिषद को इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन करने और पुरस्कार राशि घटाने–बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा परिषद को सरकार से अनुदान प्राप्त होने पर ही पुरस्कारो की राशि दी जा सकेगी।

विनीत रावत
महामंत्री

पंकज दीवान
मानद निदेशक

तरूण शर्मा
प्रतियोगिता मंत्री

ई–मेल : hindiparishad116@gmail.com

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

116, टाइप–4, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली–110023

50वीं अखिल भारतीय कंप्यूटर पर हिन्दी टंकण तथा 53वीं हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता के नियम (वर्ष 2023–24) – शक 1945

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता के नियम :–

1– यह प्रतियोगिता देश भर के विभिन्न नगरों में 9–10 **फरवरी, 2024 (शुक्रवार, शनिवार)** में से किसी एक दिन रखी जा सकेगी। **दिल्ली में यह प्रतियोगिता 09 फरवरी, 2024 शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे से आयोजित की जाएगी** तथा प्रतियोगिता स्थल के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी इस प्रतियोगिता के केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगे। इस संबंध में दोनों प्रतियोगिताओं के सामान्य नियम 1,2 का अवलोकन करें।

2– प्रतियोगिता 10 मिनट की होगी। एक व्यक्ति एक ही केन्द्र से भाग ले सकेगा।

3– (क) प्रतियोगियों को उनकी गति के आधार पर निम्नलिखित अखिल भारतीय पुरस्कार दिए जाएंगे :–

प्रथम पुरस्कार 2001 रूपये, तथा प्रतीक
द्वितीय पुरस्कार 1501 रूपये, तथा प्रतीक
तृतीय पुरस्कार 1001 रूपये, तथा प्रतीक
अखिल भारतीय महिला प्रथम पुरस्कार 751 रूपये, तथा प्रतीक

(ख) इसके अतिरिक्त हिन्दीतर भाषी प्रतियोगी को अखिल भारतीय हिन्दीतर भाषी प्रथम स्थान के लिए प्रतीक तथा 551 रूपये का पुरस्कार अलग से दिया जाएगा। जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, अथवा गुजराती होगी, उनके लिए 351 रूपये के तीन विशेष पुरस्कार अलग से होंगे पर किसी भी भाषा वर्ग में एक से अधिक विशेष पुरस्कार नहीं दिया जा सकेगा। मराठी भाषी व्यक्ति विशेष पुरस्कार के पात्र नहीं माने जाएंगे। इन तीन विशेष पुरस्कारों के लिए न्यूनतम 45 शब्द प्रति मिनट की शुद्ध गति सीमा होना आवश्यक होगा।

(ग) अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, हिन्दी भाषी प्रतियोगी के लिए 70 श.प्र.मि. तथा हिन्दीतर भाषी प्रतियोगी के लिए 45 श.प्र.मि. की न्यूनतम शुद्ध गति सीमा रहेगी।

4– **केन्द्र प्रथम तथा राज्य प्रथम पुरस्कार**

प्रत्येक केन्द्र पर प्रथम आने वाले प्रतियोगी को 251 रूपये का केन्द्र प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य में एक से अधिक केन्द्र होने पर उस राज्य के उच्चतम गति वाले प्रतियोगी को 351 रूपये का राज्य प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। परन्तु जिनकी गति, नियमों के अनुसार, प्रशस्ति–पत्र पाने योग्य नहीं रहेगी, वे प्रतियोगी पुरस्कार पाने के पात्र नहीं होंगे।

5– (क) प्रतियोगियों को 50 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक गति निकालने पर प्रशस्ति–पत्र दिए जाएंगे। लेकिन नियम 3 (ख) में उल्लिखित मातृभाषा वाले प्रतियोगियों को 30 शब्द प्रति मिनट या उससे अधिक की गति निकालने पर प्रशस्ति–पत्र दिए जा सकेंगे।

(ख) दिल्ली, राजस्थान, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों के जिन प्रतियोगियों की गति टाइप में 25 शब्द प्रति मिनट या उससे अधिक रहेगी तथा नियम 3 (ख) में उल्लिखित भाषा–भाषी जिन प्रतियोगियों की गति 25 शब्द प्रति मिनट या उससे अधिक रहेगी, उनके द्वारा प्राप्त की गई गति के संदर्भ में उनके द्वारा मांग करने पर प्रमाण–पत्र इस उद्देश्य से दिए जाएंगे कि वे अपना नाम नौकरी के लिए अपने राज्य के रोजगार कार्यालय में दर्ज करा सकें। इन राज्यों ने अपने आगे उल्लिखित आदेशों के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रमाण–पत्र को इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्रदान की हुई है :–

क्र. सं.	जिस आदेश के अधीन मान्यता दी है उसकी सं. और तारीख	
1. दिल्ली	सं. 181/180/68 हि.	दिनांक 27.1.1971
2. राजस्थान	सं. 48(8) श्रु. नि./76	दिनांक 27.12.1977
3. बिहार	सं. 8/पी–913/75 का. 218	दिनांक 7.1.1979
4. उत्तर प्रदेश	सं. 9172 ई–11/60 आ.पा./81	दिनांक 18.04.1981
5. गुजरात	सं. आर.जी.आर. 1084–440 आर. 2	दिनांक 29.05.1984

6– (क) कार्यालयों में टंकण मशीनों के प्रयोग में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए केवल कंप्यूटर पर टंकण प्रतियोगिता करवाने का निर्णय लिया गया है। अतः केवल कंप्यूटर पर की गई टाइपिंग ही स्वीकार की जाएगी। जिन हिन्दी भाषी प्रतियोगियों की गति, टाइप प्रतियोगिता के प्रथम चरण में, 70 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक रहेगी, तथा नियम 3 (ख) में उल्लिखित भाषा प्रतियोगियों के मामले में जिन प्रतियोगियों की गति 45 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक रहेगी तो ऐसी स्थिति में आवश्यक होने पर उन्हें दिल्ली में अथवा अन्य किसी नगर में, जो केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद का प्रधान कार्यालय निश्चित करेगा, प्रतियोगिता के दूसरे चरण में बैठना होगा। ऐसे प्रतियोगियों को निर्धारित नगर तक दूसरे चरण में भाग लेने के लिए आने और वापस जाने का सबसे छोटे मार्ग का दूसरे दर्जे का रेल का किराया दिया जाएगा।

(ख) दूसरे चरण में प्रतियोगियों की शुद्ध (नेट) गति प्रथम चरण की गति से भिन्न होने पर दोनों चरणों की औसत गति ही मान्य होगी परन्तु यदि दूसरे चरण की गति पहले चरण की गति से काफी कम रही तो प्रथम चरण की गति के बारे में यथायोग्य निर्णय करने का परिषद को अधिकार होगा। यदि कोई प्रतियोगी दूसरे चरण में सम्मिलित न हुआ तो उसके मामले में भी यथायोग्य निर्णय करने का परिषद को अधिकार होगा।

7– प्रतियोगिता के प्रथम चरण में भाग लेने के लिए आने पर किसी प्रकार का मार्ग व्यय या अन्य किसी प्रकार का व्यय नहीं दिया जाएगा।

8– प्रश्न–पत्र में तालिकाएं नहीं होंगी। प्रतियोगियों को टाइप करने के बाद यह प्रश्न–पत्र लौटा देना होगा। टाइप करने के लिए जो कागज उपयोग में लाया जाएगा। उसकी लम्बाई, चौड़ाई क्रमशः 34 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी। कागज एक दूसरे के साथ चिपकाया नहीं जाएगा। बायीं ओर हाशिया 10 स्पेस का छोड़ना अनिवार्य है। कागज के एक ओर ही टाइप किया जाएगा।

9– गति गणना के लिए 5 स्ट्रोक का एक शब्द माना जाएगा। प्रत्येक अशुद्धि पर दस शब्द काट दिए जाएंगे। शब्दों के बीच अन्तर न रखने अथवा नया पैरा आरंभ होने पर जगह न छोड़ने को भी अशुद्धि माना जाएगा। यदि कुल अशुद्धियां टाइप किए शब्दों के 5 प्रतिशत से अधिक होंगी तो वह प्रतियोगी असफल माना जाएगा और वह न तो पुरस्कार प्राप्त कर सकेगा न ही प्रशस्ति/प्रमाण–पत्र। प्रतियोगी की गति वह मानी जाएगी, जो अशुद्धियों की कटौती करने के बाद निकलेगी।

10– प्रतियोगी को अपनी उत्तर पुस्तिका पर अपना नाम, घर तथा कार्यालय का पता, मातृभाषा दूरभाष/मोबाईल नं. स्पष्ट अक्षरों में लिखनी होगी। महिला प्रतियोगी अपने नाम के साथ कुमारी/श्रीमती अवश्य लिखेंगी। जो प्रतियोगी अपनी मातृभाषा का उल्लेख नहीं करेंगे, उन्हें नियम 3(ख) तथा 5(ख) के अन्तर्गत पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र/प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का पात्र नहीं माना जाएगा। इस बारे में कोई पत्र–व्यवहार नहीं किया जा सकेगा।

53वीं हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता के नियम

1– यह प्रतियोगिता देश भर के विभिन्न नगरों में **9–10 फरवरी, 2024 को आयोजित की जाएगी। दिल्ली में यह प्रतियोगिता शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2024 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित की जाएगी।** प्रतियोगिता स्थल के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। सभी नगरों में **80, 100, 120,** तथा **160** शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन दिए जाएंगे। 09 **फरवरी, 2024 को उच्च गति की हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता का आयोजन केवल दिल्ली स्थित केन्द्र पर किया जाएगा।** इस उच्च गति की हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में **180, 200, 220, 240 तथा 250 तथा मांग आने पर 260 शब्द प्रति मिनट की गति** पर श्रुतलेख (डिक्टेशन) दिए जाएंगे तथा प्रतियोगिता स्थल के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। जो प्रतियोगी 180 शब्द प्रति मिनट या इससे ऊँची गति पर सफल होंगे, उन्हे अपने नगर से दिल्ली तक आने–जाने का दूसरे दर्जे का सबसे छोटे मार्ग का रेल किराया दिया जाएगा। अन्य गतियों पर भाग लेने वाले किसी भी प्रतियोगी को किसी प्रकार का मार्ग व्यय नहीं दिया जाएगा।

2– यह प्रतियोगिता दिल्ली के अतिरिक्त यथासंभव अलीगढ़, उदयपुर, कोटा, ग्वालियर, छपरा, सारण, जयपुर, दुर्ग, बुदनी और भोपाल में होगी। अन्य नगरों में भी इसके केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगे। इस संबंध में परिषद कार्यालय, नई दिल्ली से पत्र–व्यवहार करें।

3– गति और शुद्धता के आधार पर प्रतियोगियों को निम्नलिखित अखिल भारतीय पुरस्कार दिए जाएंगे :–

(क) प्रथम पुरस्कार	2001/– रूपये, तथा वैजयन्ती
द्वितीय पुरस्कार	1501/– रूपये तथा वैजयन्ती
तृतीय पुरस्कार	1001/– रूपये तथा वैजयन्ती

पिछले तीन वर्षो से यदि कोई प्रतियोगी लगातार तीन बार अखिल भारतीय प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहा है और अगर अगले वर्ष भी वह गत वर्ष के समान गति में आशुलिपि की प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होकर अखिल भारतीय प्रथम स्थान का पात्र पाया जाता है तो उसे अखिल भारतीय प्रथम पुरस्कार की नकद राशि व प्रतीक प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रतियोगी को उत्तीर्ण की गयी उच्च गति का केवल प्रशस्ति पत्र ही प्रदान किया जाएगा। इस संदर्भ में परिषद् अपने निर्णय को बाद में परिवर्तित भी कर सकती है।

(ख) इनके अलावा विभिन्न गति वर्गों में रूपये 751, 551, 451, 351 के गतिवर्ग प्रथम तथा रूपये 251 के यथोचित प्रोत्साहन पुरस्कार भी रहेंगे।

(ग) यदि किसी वर्ग में उच्चतम वर्ग 220 श.प्र.मि. से कम की गति रही तो अखिल भारतीय पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। केवल गति वर्गों वाले पुरस्कार ही दिए जाएंगे, किन्तु उच्च गति वर्गों में प्रतियोगियों के भाग न लेने पर निम्नतम गति वर्गों में अखिल भारतीय पुरस्कार प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है ।

4– 80 श.प्र.मि. पर सफलता प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को प्रशस्ति–पत्र दिए जाएंगे।

5— कोई भी प्रतियोगी तीन से अधिक गति वर्गों में भाग नहीं ले सकेगा। प्रतियोगी को तीन गति वर्गों में सफलता प्राप्त कर लेने पर पुरस्कार एक ही गति वर्ग में अर्थात् उच्चतम गति वर्ग में मिलेगा। लेकिन गति वर्ग प्रोत्साहन पुरस्कार एक से अधिक दिए जा सकेंगे।

6— सब प्रतियोगियों को अपनी पेंसिल और नोट—बुक लानी होगी। प्रतियोगी अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ अपना आशुलेख भी संलग्न करेंगे। ऐसा न करने पर उत्तर—पुस्तिका रद्द कर दी जाएगी।

7— विभिन्न गति वर्गों में डिक्टेशन का समय, शब्द और कंम्यूटर पर टाइप करने के लिए मिलने वाला समय निम्न प्रकार होगा। कंप्यूटर पर किया गया लिप्यंतरण ही स्वीकार किया जाएगा।

गति वर्ग श.प्र.मि.	डिक्टेशन कितने मिनट का होगा	कुल कितने शब्द बोले जाएंगे	टाइप करने के लिए कितने मिनट मिलेंगे
80	10	800	40
100	10	1000	50
120	7	840	45
160	5	800	40
180	4	720	40
220	2.5	550	30
230	2	460	25
240	2	480	25
250	1.5	375	25
260	1.5	390	25

8— सब प्रतियोगियों को अपने आशुलिपि के लेख को पढ़ने के लिए 10 मिनट और मशीन आदि को ठीक करने के लिए पांच मिनट का समय मिलेगा।

9— प्रतियोगी को अपनी उत्तर—पुस्तिका में अपना नाम, मातृभाषा, घर, कार्यालय का पूरा पता, आशुलिपि प्रणाली का नाम साफ—साफ अक्षरों में लिखना होगा। महिला प्रतियोगियों को अपने नाम के साथ कुमारी/श्रीमती अवश्य लिखना होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश शुल्क भेजने की रसीद संख्या और तारीख भी लिखनी होगी।

10— जो सामग्री टाइप की जाएगी, उसे दो या तीन स्पेस में टाइप करना होगा।

11— 'विद्यालय, या 'चिंताजनक' तथा 'छोटा सा' शब्द जैसे दो या उतने गिने जाएंगे, जितने शब्दों से मिलकर वे बने होंगे। इस प्रकार इनके, उसने, आपको आदि सर्वनाम भी दो—दो शब्द माने जाएंगे।

12— हर अशुद्ध लिखा शब्द गलती मानी जाएगी। एक ही शब्द को कई स्थानों पर अशुद्ध लिखने की एक ही गलती मानी जाएगी। भद्दे ढंग से मिटाने या कलम अथवा पेंसिल से कोई शब्द बढ़ाने को गलती माना जाएगा। पूर्ण विराम यदि भूल से भिन्न लगाए गए तो गलती नहीं मानी जाएगी, पर यदि ऐसे स्थानों पर लगाए गए, जिससे अर्थ ही बदल जाता हो तो वह गलती मानी जाएगी। प्रश्नवाचक चिह्न का रह जाना गलती मानी जाएगी। अन्य विराम चिह्न न लगाना गलती नहीं मानी जाएगी।

13— जिन प्रतियोगियों की अशुद्धियां बोले गए शब्दों के पांच प्रतिशत से अधिक होगी, उन्हें असफल माना जाएगा।

<u>दोनों प्रतियोगियों के सामान्य नियम :</u>

1— प्रतियोगिताओं का आयोजन, वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकेगा, बशर्ते कि वे इनका आयोजन :
(क) जहां परिषद की शाखाएं हैं वहाँ के शाखा के मंत्री/प्रधान या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की देखरेख में कराएं अथवा
(ख) जहां समन्वय समिति है, वहां समन्वय समिति के प्रधान अथवा मंत्री अथवा प्राधिकृत व्यक्ति की देखरेख में कराएं अथवा जहाँ परिषद की शाखा नहीं है, वहाँ किसी राजपत्रित अधिकारी की देखरेख में कराएं। इसके

लिए उन्हें राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम और पता तथा उनकी लिखित स्वीकृति, परिषद कार्यालय, नई दिल्ली के पास भेजनी होगी क्योंकि प्रश्न–पत्र उसी राजपत्रित अधिकारी के नाम भेजे जाएंगे।

2– प्रतियोगिता आयोजन के लिए नामित प्रभारी व्यक्ति को प्रत्येक प्रतियोगी की उत्तर पुस्तिका पर यह प्रमाणित करना होगा कि यह कार्य उनकी उपस्थिति में किया गया है।

3– प्रतियोगिता के आयोजक इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियों का विवरण (नाम, पदनाम, कार्यालय/घर का पूरा पता, मातृभाषा, मोबाईल आदि) परिषद कार्यालय के उपर्युक्त पते पर प्रतियोगिता की तिथि से कम से कम 12 दिन पूर्व भेज दे ताकि प्रतियोगिता के प्रश्न पत्र, प्रतियोगिता के आयोजक के नाम से समय पर भेजे जा सके। इन प्रतियोगिताओं के मार्च 2024 के प्रथम सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे। इस संबंध में सब प्रतियोगियों को यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

4– गति गणना और पुरस्कारों आदि के बारे में परिषद के निर्णायक मण्डल का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। इसके विरूद्ध किसी प्रकार की अपील या अनुरोध नहीं किया जा सकेगा।

5– उत्तर पुस्तिकाएं, प्रश्न पत्रों सहित प्रतियोगिता समाप्त होने के 24 घंटे के अंदर रजिस्ट्री डाक से सीलबंद करके परिषद कार्यालय, नई दिल्ली के पास भेजनी होंगी अन्यथा स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। इसके लिए डाकघर की निर्गम तिथि मान्य होगी।

6– प्रतियोगिता केवल हिन्दी टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों को काम में प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित की जाती है। किसी को नौकरी आदि दिलाने का परिषद का कोई दायित्व नहीं होगा।

7– इन नियमों के अर्थ या आशय के बारे में परिषद का निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कारों की राशि घटाने–बढ़ाने अथवा यह किस रूप में दी जाए आदि के संबंध में भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार परिषद का होगा। परिषद को सरकार से अनुदान प्राप्त होने पर ही पुरस्कारो की राशि दी जा सकेंगी ।

8– केन्द्र संचालक प्रतियोगिता का समय समाप्त होने पर प्रतियोगियों से प्रश्न–पत्र सहित उनकी उत्तर–पुस्तिकाएं प्राप्त कर लेंगे।

विनीत रावत **महामंत्री**	**पंकज दीवान** **मानद निदेशक**	**तरूण शर्मा** **प्रतियोगिता मंत्री**

विशेष अनुरोध :

प्रतियोगिता से संबंधित पत्राचार और उनके परिणाम प्रायः प्रतियोगिता का आयोजन करने वाली शाखाओं/प्रतियोगिता के आयोजकों को भेजे जाते हैं। इसलिए शाखा मंत्रियों और प्रतियोगिता के आयोजकों को चाहिए कि वे अपने कार्यालय का पूरा व स्पष्ट पता परिषद कार्यालय को भेजें। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों के नाम, मातृभाषा, उनके कार्यालय/घर के पतों की सूची भी परिषद कार्यालय को उत्तर पुस्तिकाओं के साथ भेजी जानी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रतियोगियों के साथ पत्र–व्यवहार करने तथा उन्हें पुरस्कार की राशि भेजने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

ई–मेल : hindiparishad116@gmail.com

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

116, टाइप–4, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली–110023

51वीं अखिल भारतीय हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के नियम
शक 1945 (वर्ष 2023–24)

1– यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर बुद्धवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में होगी।

2– प्रतियोगिता में केवल केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैकों, निगमों, कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों, अधिकरणों, आयोगों, अनुसंधानशालाओं आदि के कर्मचारी ही भाग ले सकेंगे, लेकिन हिन्दी पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी इसमें भाग नहीं ले सकेंगे।

3– प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा।

4– प्रतियोगिता का आयोजन हिन्दी परिषद की शाखा के प्रधान/उपप्रधान/मंत्री अथवा किसी राजपत्रित या समकक्ष अधिकारी की देखरेख में कराया जा सकेगा।

5– प्रतियोगिता का स्थान और समय प्रतियोगिता के आयोजक स्वयं निश्चित करेंगे तथा प्रतियोगियों को तदनुसार अवगत कराएंगे।

6– प्रतियोगिता का आयोजन उन कार्यालयों में किया जा सकेगा जहाँ पर प्रतियोगियों की संख्या कम से कम पांच होगी। किसी नगर में कई कार्यालयों के प्रतियोगियों को मिलाकर भी केन्द्र की स्थापना की जा सकेगी।

7– प्रतियोगिता के आयोजक प्रतियोगियों का विवरण (नाम, पदनाम, कार्यालय का पूरा पता, मातृभाषा आदि) परिषद कार्यालय, नई दिल्ली को प्रतियोगिता की तिथि के कम से कम 12 दिन पूर्व भेज देंगे ताकि प्रश्न–पत्र प्रतियोगिता आयोजक के नाम से समय पर भेजे जा सकें।

8– प्रतियोगिता प्रश्न–पत्र के आधार पर होगी। प्रश्न–पत्र कार्यालय में नित्य किए जाने वाले कार्यों से संबंधित होगा। उत्तर लिखने के लिए समय दो घंटे का होगा।

9– प्रश्न–पत्र 100 अंकों का होगा और उसमें टिप्पण, प्रारूप, अनुवाद, भारत सरकार की राजभाषा नीति आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। उत्तर के मूल्यांकन का आधार भाषा, व्याकरण, विचार करने का ढंग, सही पर्यायों का प्रयोग आदि होगा।

10– प्रतियोगिता में हिन्दी भाषी तथा हिन्दीतर भाषी (जिनकी मातृभाषा असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, गुजराती है) कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय पुरस्कार अलग–अलग निम्नलिखित होंगे :–

क. प्रथम पुरस्कार 2001/– रूपए, तथा प्रतीक
ख. द्वितीय पुरस्कार 1501/– रूपए तथा प्रतीक
ग. तृतीय पुरस्कार 1001/– रूपए तथा प्रतीक

कृ.प.उ.

अखिल भारतीय स्तर पर जिस प्रतियोगी के अंक सर्वाधिक होंगे उन्हें श्री शिवप्रकाश गुप्त द्वारा प्रदत्त श्रीमती सूरजी देवी तथा श्री देवकी नन्दन गुप्त वैजयंती दी जाएगी।

घ. इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रतियोगिता केन्द्र के लिए केन्द्र स्तर पर प्रतियोगियों की संख्या के अनुपात के अनुसार कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

11— अच्छे स्तर पर उत्तर देने वाले प्रतियोगियों को प्रशस्ति–पत्र भी दिए जाएंगे। प्रशस्ति–पत्र में 50 से 59 तक अंक प्राप्त करने वालों के लिए 'सराहनीय' 60 से 74 तक अंक प्राप्त करने वालों के लिए 'उत्तम' और 75 और इससे अधिक अंक पाने वालों के लिए 'अति उत्तम' का उल्लेख होगा। 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी को प्रशस्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तथा उसका नाम भी परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

12— प्रतियोगी उत्तर पुस्तिका पर अपना नाम, पदनाम, मातृभाषा, घर का पूरा पता, कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष/मोबाईल नं. स्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे ताकि उन्हें सूचनाएं और परिणाम ठीक समय पर पहुंच सके। महिला प्रतियोगियों को अपने नाम के साथ श्रीमती अथवा कुमारी अवश्य लिखना होगा।

13— आयोजक को उत्तर पुस्तिकाएं प्रश्न पत्रों सहित प्रतियोगिता समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर रजिस्टर्ड डाक से सीलबंद करके परिषद के मुख्यालय, नई दिल्ली को भेजनी होंगी, अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए डाकघर की निर्गम तारीख ही मान्य होगी।

14— आयोजकों को प्रतियोगिता समाप्त होने पर प्रश्न पत्र सहित उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त करनी होंगी।

15— प्रतियोगिता के परिणाम के विषय में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा तथा परिणाम मार्च 2024 के प्रथम सप्ताह तक घोषित कर दिया जाएगा।

16— नियमों की व्याख्या करने, उनमें परिवर्तन करने, पुरस्कारों की राशि घटाने–बढ़ाने अथवा वे किस रूप में दिए जाएं आदि के निर्णय का परिषद को पूरा अधिकार होगा। इसके विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति अथवा अपील नहीं की जा सकेगी। परिषद को सरकार से अनुदान प्राप्त होने पर ही पुरस्कारो की राशि दी जा सकेंगी।

17— आयोजक, कृपया प्रतियोगिता प्रारम्भ करवाने से पूर्व प्रतियोगिता के नियम सभी प्रतियोगियों को पढ़कर अवश्य सुना दें।

विनीत रावत
महामंत्री

पंकज दीवान
मानद निदेशक

तरूण शर्मा
प्रतियोगिता मंत्री

ई–मेल : hindiparishad116@gmail.com

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

116, टाइप–4, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली–110023

51वीं अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, शक 1945–वर्ष–2023–24
(केवल हिन्दीत्तर भाषी सरकारी कर्मचारियों के लिए)

प्रतियोगिता के नियम

1. यह प्रतियोगिता बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024 को कार्यालय समय में सुविधानुसार करवाई जाएगी।

2. इस प्रतियोगिता में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के केवल वही कर्मचारी भाग ले सकेंगे, जिनकी मातृभाषा गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, बंगला, उडिया, कोंकणी, असमिया और पूर्वांचल की कोई भाषा है, तथा जिनका हिन्दी का ज्ञान बी.ए. अथवा इससे ऊँचे स्तर का नहीं है।

3. प्रतियोगिता में बैठने का कोई शुल्क नही होगा।

4. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

क. प्रदूषण से होने वाली क्षति और इसे कम करने के उपाय
ख. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति।
ग. राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति नागरिकों में उदासीनता।

निबंध 100 अंको का होगा और उसका मूल्यांकन 1. भाषा 2. शैली 3. विचार तथा 4. सुलेख की दृष्टि से किया जाएगा जिनके लिए क्रमशः 35, 35, 25, 5 अंक पृथक–पृथक होंगे। निबंध लिखने के लिए डेढ़ घन्टे का समय दिया जाएगा।

5. **क.)** प्रतियोगिता केन्द्र, केन्द्रीय सरकार के उन कार्यालयों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में रखे जा सकेंगे जहां इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की संख्या कम से कम 5 होगी और परिषद का शाखा मंत्री या वहां का कोई राजपत्रित या समकक्ष अधिकारी प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार इसे अपनी देख–रेख में करवाने का दायित्व संभालने को तैयार होगा।
ख.) प्रतियोगिता केन्द्र की स्थापना उपयुक्त आधार पर प्रतियोगी स्वयं भी कर सकेंगे। इसके लिए किसी राजपत्रित या समकक्ष अधिकारी की लिखित सहमति परिषद कार्यालय, नई दिल्ली को भेजनी होगी कि वे इस प्रतियोगिता को अपनी देख–रेख में करवाने को तैयार हैं।

6. 1.) इस प्रतियोगिता में लिखे गए निबंधों पर हिन्दी भाषी और हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों के लिए 2001/–रू., 1501/– रू., तथा 1001/– रू. के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, और तृतीय अखिल भारतीय पुरस्कार एवं प्रतीक अलग–अलग दिए जाएंगे। केवल तमिलनाडु स्थित केन्द्रों में से प्रथम स्थान पाने वाले प्रतियोगी को 551/–रू. तथा श्री अरूण गुप्त वैजयन्ती प्रदान की जाएगी। यह वैजयन्ती श्री शिव प्रकाश गुप्त जी ने अपने सुपुत्र श्री अरूण गुप्त की स्मृति में दी है।

2.) भाषा वर्ग पुरस्कारः– नियम 2. में उल्लिखित प्रत्येक भाषा में श्रेष्ठ निबंध लिखने वाले प्रतियोगी को 351/–रू. का एक भाषा वर्ग पुरस्कार दिया जाएगा। जिस भाषा वर्ग के प्रतियोगियों की संख्या पांच से कम होगी, उस भाषा वर्ग में यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ऐसे सभी भाषा वर्गों के प्रतियोगियों को मिलाकर एक पुरस्कार दे दिया जाएगा।

3.) जिस भाषा वर्ग के 40 या इससे अधिक प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उसमें हर 40 प्रतियोगियों पर, एक–एक प्रोत्साहन पुरस्कार 251–251/– रू. का दिया जायेगा।

क्.प्र.उ.

4.) किसी भी प्रतियोगी को एक से अधिक पुरस्कार इस प्रतियोगिता में नहीं दिया जा सकेगा। एक प्रतियोगी को केवल एक ही पुरस्कार अर्थात उच्चतम पुरस्कार मिल सकेगा।

7. अच्छे स्तर के सभी निबंधों पर प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी का निबंध अच्छे स्तर का माना जाएगा।

8. प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियों को अपना विवरण जैसे नाम, पदनाम, कार्यालय का पूरा पता, घर का पूरा पता तथा फोन न., मातृभाषा, हिन्दी की योग्यता आदि स्पष्ट व बड़े अक्षरों में परिषद कार्यालय के पास प्रतियोगिता केन्द्र के संचालक अथवा परिषद् के शाखा मंत्री के माध्यम से प्रतियोगिता की तारीख से 15 दिन पूर्व भिजवा देना होगा। देर से प्राप्त हुए नाम असाधारण स्थिति में ही स्वीकार किए जाएंगे।

9. निबंध लिखने के लिए लाइनदार फुलस्केप कागज जो शाखा या आयोजक द्वारा दिया जाएगा, केवल उसी को प्रयुक्त करना होगा। सभी प्रतियोगी उत्तर पुस्तिका पर अपने कार्यालय/घर का पता और दूरभाष/मोबाईल नं. भी लिखें।

10. प्रतियोगिता आरम्भ होने से पूर्व केन्द्र संचालक यह देख लें कि प्रतियोगियों की उत्तर पुस्तिकाएं कोरी हैं और उन पर पहले से कुछ नहीं लिखा है। केन्द्र संचालक प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर यह प्रमाण–पत्र देंगे कि प्रतियोगी ने यह निबंध उनके सामने बैठकर लिखा है। प्रमाण–पत्र पर केन्द्र संचालक के हस्ताक्षर के साथ उनके नाम, पदनाम की मोहर भी होनी आवश्यक है।

11. प्रतियोगी अपनी उत्तर पुस्तिका पर अपना पूरा नाम और घर का पता, मातृभाषा, कार्यालय का नाम और पता, देवनागरी लिपि में साफ–साफ लिखेंगे ताकि पत्र व्यवहार में कोई कठिनाई न हो। उत्तर पुस्तिका में मातृभाषा अवश्य लिखें अन्यथा विचार नहीं किया जाएगा।

12. महिला प्रतियोगियों को अपने नाम के साथ कुमारी अथवा श्रीमती अवश्य लिखना होगा।

13. प्रतियोगिता के आरम्भ तथा समाप्ति के बारे में केन्द्र संचालक का आदेश सभी को मान्य होगा तथा प्रतियोगिता की समाप्ति पर सभी प्रतियोगी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं केन्द्र संचालक को सौंपकर ही केन्द्र से बाहर जाएंगे।

14. केन्द्र संचालकों को प्रतियोगिता समाप्त होने पर उत्तर पुस्तिकाएं 24 घंटे के भीतर रजिस्टरी डाक से मोहर बन्द करके परिषद कार्यालय, नई दिल्ली को भेजनी होंगी अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए डाक घर की निर्गम तिथि मान्य होगी।

15. प्रतियोगिता का **परिणाम मार्च 2024** के प्रथम सप्ताह तक घोषित कर समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जाएगा। प्रतियोगिता केन्द्रों को यह परिणाम यथासमय भेजा जाएगा। प्रतियोगियों से मांग आने पर उन्हें भी परिणाम भेजा जा सकेगा।

16. प्रतियोगिता के परिणाम आदि के विषय में परिषद द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल का निर्णय अन्तिम होगा।

17. प्रतियोगिता के नियमों की व्याख्या करने, नियमों में संशोधन करने, पुरस्कारों की राशि को घटाने–बढ़ाने, उन्हें किस रुप में दिया जाए, आदि का निर्णय करने का परिषद को पूरा अधिकार होगा। उसके विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति या अपील नहीं की जा सकेगी। परिषद को सरकार से अनुदान प्राप्त होने पर ही पुरस्कारों की राशि दी जा सकेगी।

नोटः सभी शाखा मंत्रियों/आयोजकों से अनुरोध है कि वे प्रतियोगिता एवं इसके नियमों का व्यापक प्रचार करें तथा अपने कार्यालय का तथा घर का फोन न., पूरा व स्पष्ट पता परिषद कार्यालय को भेजें जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके।

विनीत रावत	**पंकज दीवान**	**तरूण शर्मा**
महामंत्री	**मानद निदेशक**	**प्रतियोगिता मंत्री**